ANNUAL GOVERNOR'S REPORT ON THE ADMINISTRATION OF SCHEDULED AREAS

MADHYA PRADESH
(2011-12)

THIS REPORT HAS BEEN OBTAINED FROM THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA IN RESPONSE TO AN RTI REQUEST (APPLICATION NUMBER - MOTLA/R/2016/80065) FILED BY CPR LAND RIGHTS INITIATIVE.

CPR LAND RIGHTS INITIATIVE | www.landrightsinitiative.cprindia.org
CENTRE FOR POLICY RESEARCH, DHARAM MARG, CHANKYAPURI, NEW DELHI - 110021

केवल शासकीय उपयोग के लिए

अनुक्रमणिका

स.क्र.	अध्याय क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1	प्रारंभिक	1–2
2.	अध्याय–2	प्रशासनिक संरचना	3–9
3.	अध्याय–3	आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	10
4.	अध्याय–4	संरक्षणात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थायें	11–21
	4.1	अत्याचार निवारण	11–13
	4.2	राहत एवं सहायता	13
	4.3	आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण पर लगाई गई रोक	14
	4.4	आबकारी नीति	14–15
	4.5	लघु वनोपज	15–16
	4.6	मध्यप्रदेश विधिक सहायता के अंतर्गत उपाय	16–18

(v)		मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	1–68
	5.18	राज्य शिक्षा केन्द्र एवं लोक शिक्षण	51
	5.19	आदिवासी विकास	52–58
	5.20	आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था	58–60
	5.21	तकनीकी शिक्षा	61
	5.22	उच्चशिक्षा	61–62
	5.23	प्रशिक्षण	62–63

अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची की कंडिका 1–3 में निहित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2011–12

अध्याय–1

प्रारंभिक

मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग कि.मी. है। जिसमें 0.68 लाख वर्ग

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार है:–

(जनगणना 2001 के अनुसार)

	मध्यप्रदेश	
1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	3.08 लाख वर्ग किलोमीटर
2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	603.48 लाख
3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	122.33 लाख
4.	प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	20.27 प्रतिशत
ब–	**अनुसूचित क्षेत्र**	
1.	प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र	0.68 लाख वर्ग कि.मी.
2.	अनुसूचित क्षेत्र का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	22.07 प्रतिशत
3.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या '	112.84 लाख
4.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 1. प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2. उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	18.69 प्रतिशत

अध्याय–2

प्रशासनिक संरचना

मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत, आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के तहत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्यांकन का उत्तरदायित्व आदिम जाति कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में करता है। शासन के विभिन्न विभागों में उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र के लिये पृथक से अमला पदस्थ नहीं किया गया है, वरन् विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजना के साथ–साथ आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राज्य आयोजना मद से संचालित योजनाओं के अनुश्रवण/मूल्यांकन का कार्य संचालित किया जाता है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के लिये धन राशि की व्यवस्था करना तथा विभिन्न विभागों के बीच आदिवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं से

योजनाओं की राशि निर्गमित किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को ही पहुँचे। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की राशि किसी भी स्थिति में अन्य मांग संख्या यथा सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर राशि का व्यय करना वर्जित है। बजट प्रावधान अनुसार विभिन्न विकास विभागों को राशि आंवटित की गई एवं राशि के पुनर्विनियोजन का कार्य भी संपादित किया गया है।

2.4 संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास कार्यो का समन्वय प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर संचालक विशेष पिछड़ी जनजाति का

जबलपुर, रीवा एवं इंदौर में आदिम जाति अनुसंधान केन्द्र संचालित हैं। ये केन्द्र आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था की संभागीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इनमें पदस्थ अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र रूप से आहरण एवं संवितरण के अधिकार दिये गये हैं।

2.7 जिला स्तर

2.7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर आयुक्त

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत को आदिम जाति कल्याण विभाग का पदेन अपर आयुक्त घोषित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय

विभागीय प्रशासकीय नियंत्रण एवं योजनाओं के क्रियान्चयन हेतु जिला स्तर पर आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में सहायक आयुक्त तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जिला संयोजक कार्यरत हैं।

2.7.2 सहायक आयुक्त

मध्य प्रदेश के 26 जिला कार्यालयों (जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, [redacted]

जिलों में ही नहीं वरन् एक से अधिक राजस्व संभागों में फैला हुआ है। संचालित अभिकरण मुख्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र में शामिल जिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र (जिले)
राहरिया विकास अभिकरण		
1	श्योपुरकलां	श्योपुरकलां/मुरैना/भिण्ड जिला
2	शिवपुरी	शिवपुरी जिला
3	गुना	गुना/अशोकनगर जिला
4	ग्वालियर	ग्वालियर/ दतिया जिला
बैगा विकास अभिकरण		
1	मण्डला	मण्डला जिला
2	शहडोल	शहडोल जिला
3	बैहर	बालाघाट जिला
4	उमरिया	उमरिया जिला
5	डिण्डौरी	डिण्डौरी जिला
6	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर जिला
भारिया विकास अभिकरण		
1	तामिया	तामिया(पातालकोट)जिला छिंदवाड़ा

2.10 विकास खण्ड स्तर

2.10.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)

2.11.1 मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु परिवार मूलक आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत आदिवासियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

2.11.2 मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मैपसेट)

अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों में अल्पावधि प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्र की स्थापना कर अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों का पंजीयन कराकर रोजगार की सम्भावनाओं पर

2.12 मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

धारा 9(1) के अन्तर्गत आयोग का यह कृत्य होगा कि यह –

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितग्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ङ.) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

10. आयोग की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय अतिविशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थात् :–

क. राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'सम्मन' करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

ख. किसी दस्तावेज को प्रगट करने और पेश करने की अपेक्षा करना,

ग. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना,

ङ. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

2.13 अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियो को दी जाने वाली सुविधायें

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के उन्नयन तथा योग्य शासकीय सेवकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा सुविधायें प्रदान की गई है :–

क. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ/बी–11/3/83/नि–2/4 भोपाल दिनांक 25.01.86 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधायें एवं क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जा रहा है। विवरण **परिशिष्ट–चार** पर दर्शित है।

ख. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के दो बच्चों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर आदिवासी छात्रावासों/आश्रमों में रहने तथा आदिवासी विद्यार्थियों के समान शिष्यवृत्ति प्रदान करने की सुविधा दी गई है।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के संबंध में लागू की गई नीति **परिशिष्ट – पांच** पर संलग्न है।

अध्याय–3

मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–ख कंडिका–4 में निहित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियमावली–1957 के अनुसार कार्यशील है। राज्य शासन को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतिगत मामलों में सलाह देने तथा प्रदेश के सभी विभागों में संचालित कल्याण कार्यक्रमों में आदिवासियों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश आदिम

अध्याय–4

संरक्षणात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थायें

संरक्षणात्मक उपाय

4.1 अत्याचार निवारण

अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा एवं शोषण को रोकने के लिये लागू किये संरक्षात्मक उपायों का विवरण तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिये प्रतिवेदन अवधि में उठाये गये कदम तथा अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 व नियम 1995 के उपबंधों के कियान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

4.1.1 विशेष न्यायालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा–14 के प्रावधान के अनुसार राज्य द्वारा 43 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। शेष 7 जिलों न्यायालयों को इन अधिनियमों के तहत सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है।

4.1.2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–8

4.1.6 विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (2) के प्रावधान अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक द्वारा एक केलेण्डर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई माह में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

4.1.7 अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (7) के अधीन अपराधों के अन्वेषण हेतु प्रदेश के जिलों में एक उप पुलिस अधीक्षक प्रथम एवं एक उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय अपराधों के अन्वेषण के लिये नियुक्त किये गये हैं।

4.1.8 नोडल अधिकारी की नियुक्ति

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 9 के अधीन आदेश क्रमांक 787/1020/05/25/4 दिनांक 08.06.2005 द्वारा सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 5.3.2011, दिनांक 29.6.2011, दिनांक 28.9.2011 एवं 21.12.2011 को सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, गृह विभाग, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक प्रकोष्ठ) तथा संचालक, लोक अभियोजन के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

4.1.9 विशेष अधिकारी की नियुक्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन में संबंधित क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है।

4.1.10 आकस्मिकता योजना नियम

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 15 के अंतर्गत म.प्र.शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सर्तकता और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। समिति की प्रतिवर्ष 4 बैठकों के मान से बैठक आयोजित की जाती है।

4.2 राहत एवं सहायता

4.2.1 अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं आश्रितों को दी गई राहत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम –1995 के नियम–11 में पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

नियम–15 में राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना बनाकर पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिजनों को राहत एवं पुनर्वास पैकेज देने हेतु नियम बनाने के निर्देश हैं। राज्य शासन द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं आश्रितों को राहत प्रदान करने हेतु म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 बनाए गए हैं, जो 1 मार्च 1996 से

4.3 आदिवासियों की भूमि के हस्तान्तरण पर रोक

आदिवासियों की भूमि के हित संरक्षण को विशेष प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत कतिपय अंतरणों को अपास्त किये जाने का प्रावधान एवं 170 (ख) के अन्तर्गत आदिम जनजातियों की भूमि के कपटपूर्वक अंतरण होने पर वापस किया जाना तथा धारा 147 के अंतर्गत आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा सहित 165–6(एक) के प्रावधानों को आलोच्य वर्ष में प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने हेतु जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण पर रोक लगी है।

वर्ष 2011–12 में प्रदेश के समस्त ज़िलों की अनुसूचित जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अन्तरित की गई थी, के प्रत्यावर्तन की स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) न्यायालयो में दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या	–	13655	रकबा	9280.933 एकड़
(2) न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की संख्या	–	11951	रकबा	8791.095 एकड़
(3) निरस्त (खारिज) प्रकरणों की संख्या	–	3858	रकबा	2233.276 एकड़
(4) आदिवासियों के पक्ष में निर्णित प्रकरणों की संख्या	–	8093	रकबा	6633.679 एकड़
(6) न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या	–	1704	रकबा	489.838 एकड़
(5) आदिवासियों को कब्जा वापस दिलाये गये प्रकरणों की संख्या	–	8006	रकबा	6808.614 एकड

4.4 आबकारी नीति

(1) राज्य शासन द्वारा आदिवासियों के शोषण रोकने तथा उनकी परम्पराओं को जीवित

• ग्रामसभा की अनुमति/स्वीकृति के बिना उसके क्षेत्र में मादक पदार्थ के विनिर्माण की कोई इकाई स्थापित/खोली नहीं जा सकती।

4.6 लघु वनोपज का संग्रहण

लघु वनोपज के आदिवासी संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना वर्ष 1984 में की गयी। वर्ष 1984 से 1988 तक संघ द्वारा चयनित जिलों में तेन्दुपत्ता, सालबीज एवं हर्रा का संग्रहण एवं व्यापार किया गया। जून 1988 में राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार के सहकारीकरण का [redacted]

अतिरिक्त 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरुत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि सहकारी समितियाँ अपने विवेक अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास पर व्यय कर रही हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा औषधि उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं।

संग्रहण वर्ष 2010 के लिये तेंदूपत्ता संग्राहकों को क्रमशः रुपये 33.73 करोड़ एवं रुपये 82.57 करोड़ का प्रोत्साहन पारिश्रमिक नगद में वितरण किया गया। संग्रहण वर्ष 2011 के लेखा में अंतिमीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके पश्चात संग्रहण वर्ष 2011 के शुद्ध लाभ एवं तदानुसार प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि की गणना हो सकेगी।

4.5.2 सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना

संघ द्वारा वर्ष 1991–92 से तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये निःशुल्क सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को रूपये 3500/– की राशि तथा दुर्घटना में आंशिक विकलांगता के लिये रूपये 12500/– तथा पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की दशा में रूपये 25000/– की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 2.11 लाख दावेदारों को रूपये 8375.99 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया गया है।

4.6 मध्यप्रदेश विधिक सहायता के अंतर्गत उपाय

4.6.1 विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा अन्य वर्गो के पात्र सदस्यों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब असहाय पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्यिों को उनके विरूद्व चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है ।

उक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों/उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है। वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जनजातियों के 11335 व्यक्तियों को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

4.6.2 लोक अदालत योजना

वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 467113 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

4.6.3 विधिक साक्षरता शिविर योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम 1999 तैयार की गई है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर,जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग निःशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि छात्र उपस्थित रहते हैं। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान का उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानून एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत,दहेज प्रथा,बंधुआ मजदूर,बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ–साथ भरण

ग सहकारी ... उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये हैं, जिसका जेसीज क्लब,

[redacted]

या माल के वहन के लिए यातायात सेवा या डाक तार या टेलीफोन सेवा या किसी संस्था
[redacted]

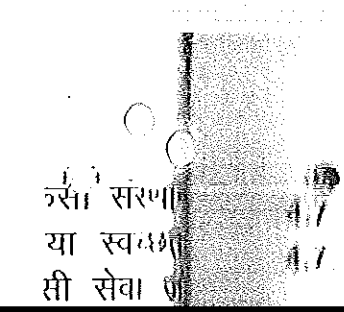

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
आयोडीनयुक्त नमक का प्रदाय

राज्य में विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित परियोजना एवं हितग्राही मूल रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को शत–प्रतिशत सहायता का प्रावध रखा गया है।

4.9 अनुसूचित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा गतिविधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में लेख है कि राज्य पिछड़े और कमजोर वर्गो लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। इसी को ध्यान में रखते

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21(2) 7 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2009 में ऐसे ग्राम/नगर/मोहल्लों/कस्बों को पंजीबद्ध अपराधों की संख्या के आधार पर चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रदेश के 13 जिलों के 35 थानों के अन्तर्गत 38 क्षेत्रों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा होने की स्थिति में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107/116(3), 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है इसी प्रकार आदतन अपराधी के विरूद्ध धारा 110 जा.फौ. में तथा भूमि विवाद में धारा 145 जा.फौ. के

भारत सरकार द्वारा निर्गमित राशि एकीकृत आदिवासी विकास
डा पाकेट/लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरणों को
नाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। परियोजनावार वित्तीय एवं भौतिक
लब्धियों की जानकारी परिशिष्ट–आठ पर संलग्न है ।

समीक्षा

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मार्गदर्शी सिद्धांत, उद्देश्य

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित कार्यक्रमों के अंतर्गत केवल
रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले आदिवासियों को इन योजनाओं का लाभ दिया

केन्द्रीय सहायता का एक निश्चित अंश अलग से रखा जाना चाहिए, जिसे महिला घटक के रूप में दर्शाया जाना चाहिये।

10. आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि योजना आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखकर बनाये जिससे सीधे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

11. इस प्रकार से ली गई योजनाओं के संबंध में भौतिक व वित्तीय लक्ष्य समय–सीमा में निर्धारित किये जाने चाहिये, जिससे उनका सतत् मूल्यांकन किया जा सके।

12. आदिवासियों के भौतिक व आर्थिक–सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे आर्थिक कार्यक्रम लिये जाने चाहिये जो उनके लिए उपयोगी हो व उनकी गरीबी का उन्मूलन कर सके।

13. वनग्रामों के विकास के समय वन विभाग के कार्यक्रम जैसे संयुक्त वन प्रबंधन के साथ तालमेल बैठाते हुए आदिवासियों की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाये। इसी प्रकार खेती करने वाले आदिवासियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए

परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए एजेन्सी नियुक्त करने का अधिकार भी परियोजना सलाहकार मण्डल को होगा। पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही अन्य स्थानीय एजेन्सी/विभाग के माध्यम से कार्य कराने का निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

8.1.3 क्लस्टर आधारित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का विकास–आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता

प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत 26 वृहद एवं 05 मध्यम एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, 30 माडा पाकेट तथा 06 लघु अंचल संचालित हैं। भारत सरकार के आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग हेतु नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित क्लस्टर्स ग्रामों में, जहां पर अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, उक्त ग्रामों में आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रोजगार मूलक आयं सृजित आर्थिक विकास कार्यक्रम यथा–कृषि एवं भू–सुधार, भू–जल संरक्षण, उद्यानिकी, लघु सिंचाई, पशुपालन व्यवसाय, हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग तथा अधोसंरचना विकास इत्यादि गतिविधियों का चयन कर क्रियान्वयन किया जाता है। वर्ष 2010–11 में 213 क्लस्टर्स के आय सृजित योजनाओं अंतर्गत 95208 हितग्राहियों तथा अधोसंरचना विकास अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन कर लाभान्वित किया जा रहा है।

8.1.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) केन्द्रीय सहायता

संविधान के अनुच्छेद 275(1) केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा निर्गमित राशि रूपये 14015.50 लाख अधोसंरचना विकास हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के परियोजनाओं/माडा पाकेट/लघु अंचल तथा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को राज्य शासन द्वारा आवंटित की गई है।

8.1.5 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व से काबिज आदिवासियों को तथा तीन पीढ़ियों से निवासरत अन्य परम्परागत वर्ग के वन निवासियों को वन भूमि पर अधिकार देने हेतु पूरे प्रदेश में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, माह मार्च 2012 तक 1,60,078 ... पर वन निवासियों के वन अधिकार मान्य किये गये हैं।

जनरल स्टोर, टेंट हाउस, आटा चक्की, डेयरी ट्रेक्टर ट्राली, जीप टेक्सी, सूअर पालन, ढाबा योजना, इन्टरनेट, बैटल शाप, मिनी ट्रक, ईट भट्टा इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2011–12 में विभिन्न स्व–रोजगार योजनान्तर्गत 425 हितग्राहियों को कुल रूपये 541.32 लाख व्यय किये जाकर लाभान्वित किया गया।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली (NSTFDC) के माध्यम से संचालित आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना :– आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित की गई है। वर्ष 2011–12 में राशि रूपये 203.00 लाख के विरूद्ध 406 आदिवासी महिलाओं को लाभ दिया गया।

3. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद (N.H.F.D.C) के माध्यम से संचालित योजनाएं –

प्रदेश के विकलांग आदिवासियों के कल्याणार्थ विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गत वर्षों की उपलब्ध राशि से वर्ष 2011–12 में 2 हितग्राहियों को रू. 1.00 लाख व्यय किया जाकर लाभांवित किया गया ।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 833 हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राशि रू. 745.32 लाख उपलब्ध कराये जाकर लाभांवित किया गया ।

5.2 किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

प्रदेश में कृषि संगणना 2001 के अनुसार कुल कृषक जोतों की संख्या 73.60 लाख है, जिसमें 47.89 लाख (61 प्रतिशत) लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक हैं। अनुसूचित जनजाति की जोत संख्या 15.04 लाख है, जो कुल जोतों का 20.44 प्रतिशत है। इस वर्ग के कृषक अधिकतम लघु एवं सीमान्त वर्ग में आते हैं। कृषकों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में अनुदान देय है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों गतिविधियों का प्रमुख दायित्व प्रदेश में फसलों के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है। रासायनिक उर्वरक, प्रमाणित तथा उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ाने, पौध संरक्षण कार्यक्रम, कृषि उपकरण आदि आदान कृषकों को

न, ...ब।
न किया।
-रोजगार
त किया।

माध्यम
वेतकरण
सहायता
द्ध 406

राज्य पोषित योजनाऐं

1. सूरजधारा योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लघु सीमांत कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत प्रमाणित/आधार बीज साधारण बीज के बदले या 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं। बीज अदला बदली घटक के अंतर्गत प्रमाणित बीज अधिकतम एक हेक्टेयर हेतु, बीज स्वालंबन के अंतर्गत आधार बीज कृषकों की धारित भूमि के 1/10 भाग हेतु एवं बीज उत्पादन घटक के अंतर्गत आधार बीज (शासकीय प्रक्षेत्रों की 10 कि

लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजनान्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं। राशि रूपये 15.00 लाख आवंटन के विरूद्व 15.00 व्यय कर 18775 कृषक लाभांवित हुये ।

7. बैलगाड़ी पर अनुदान

ग्रामीण परिवेश में कृषि कार्यों को सुगम बनाने एवं गौवंश को संरक्षित करने हेतु किसान पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में वर्ष 2007–08 से किसानों को बैलगाड़ी के कय पर अनुदान देने की योजना की शुरूआत की गई है। इस

योजनान्तर्गत ... होते हैं। योजना के प्रमुख घटक प्रजनक बीज की खरीदी बीजोत्पादन, बीजोपचार, ... प्रदर्शन, पर अनुदान देय है।

(ब) ... गन्ना विकास योजना :– प्रदेश में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादक को बढ़ावा देना। ... भारत सरकार एवं राज्य सरकार 90:10 वित्तीय अनुपात में व्यय होता है। योजना प्रदेश ... चयनित जिलों में कियान्वित है। योजना सभी श्रेणी के कृषकों को प्राथमिकता ... अनुसार दी जाती है। योजना के घटक, गन्ना बीज प्रगुणन आदि में अनुदान देय है। ... प्रशिक्षण कृषक भ्रमण घटक में कृषकों को प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है।

... राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना : यह केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रदेश के 44 ... जिलों में क्रियान्वित है। वर्ष 2001–02 में योजना मैक्रोमैनेजमेंट कार्यक्रम में शामिल किया है।

धारा योजना एवं अन्नपूर्णा योजना (बीज अदला–बदली,बीज स्वावलम्बन, बीज उत्पादन) कृषकों के खेतों पर नल कूप खनन योजना, सिंचाई उपकरण पर अनुदान (टॉपअप), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम, बैल गाड़ी पर अनुदान बलराम तालाब एवं कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम/योजना क्रियान्वित की जा रही है। राशि रूपये 5.92 लाख आवंटन के विरूद्व 5.52 व्यय कर 445 कृषक लाभांवित हुये ।

5.3 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान रुपये 3208.35 लाख के विरुद्ध रुपये 3187.28 लाख आबंटन में से रुपये 3032.74 लाख का व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

विकास कार्य

5.3.1 फल विकास कार्यकम

योजना के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार प्रति हैक्टर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । बैंक ऋण पर आम, सन्तरा, नीबू, केला पपीता, अंगूर को सम्मिलित किया गया है तथा जो कृषक ऋण नहीं लेना चाहते , उन्हे विभागीय योजना के तहत आम, अमरूद, अनार, ऑवला, सन्तरा, नीब का बगीचा लगाने

) कृषकों
ीय कृषि
गाड़ी पर
रही है।

35 लाख
या गया।

ते हैक्टर
, सन्तरा,
चाहते

क्र.	श्रेणी	विवरण	कुल लागत	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
1	टेबल ग्रेप्स	लागत प्रति हेक्टर. 25 % अनुदान	रू.457620 रू.114405	रू.391060 रू.97765	रू.66560 रू.16640	रू.457620 रू.114405
2	वाईनरी ग्रेप्स	लागत प्रति हेक्टर. 25 % अनुदान	रू.540420 रू.135105	रू.483860 रू.120965	रू.56560 रू.14140	रू.540420 रू.135105

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011—12	1	—	1.10	—	—

5.3.6 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 12500/– प्रति हैक्टर तथा कंदवाली फसल जैसे– हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 25000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधन किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैक्टर से लेकर 2 हैक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12	1329.60	1158.03	202.17	166.19	2330

5.3.7 प्रदर्शन/मिनीकिट की योजना

समस्त उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन/मिनीकिट की नवीन योजनान्तर्ग आगामी तीन

के लिये
प्रतिशत
, लहसुन
जाने का
का लाभ

11.10 जिला प्रदर्शनी एवं प्रचार प्रसार

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2011–12 में रूपये 80.81 लाख का प्रावधान है ।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12	67	61	12.42	11.50	3802

11.11 कृषक प्रशिक्षण

❖ बडे कृषको को निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान देय है। जिसमें केन्द्रांश का 40 प्रतिशत एवं राज्यांश राशि का 30 प्रतिशत भाग है। शेष 30 प्रतिशत भाग का व्यय कृषक का स्वयं वहन करना होगा।

❖ यह योजना प्रदेश की सभी जिलों में लागू होगी। उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।

❖ योजनांतर्गत वर्ष 11–12 में 51234 हेक्टर में ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई तथा रूपये 18593.22 लाख का व्यय मार्च,12 तक किया गया ।

(3) म.प्र.राज्य औषधीय पौध मिशन

1. प्रदेश में औषधीय फसलों की खेती, प्रोसेसिंग, भण्डारण और विपणन के लिये भारत सरकार, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन मेडीशनल प्लांट का गठन किया । जिसके प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन का वर्ष 2008–09 में म.प्र. राज्य औषधीय पौधा मिशन के गठन की अधिसूचना जारी की । वर्ष 2009–10 से गतिविधियां प्रारंभ की गई ।

2. वर्ष 2011–12 में भारत सरकार को प्रस्तुत कार्ययोजना राशि रू. 461.204 की राशि अनुमोदित हुयी जिसके विरूद्ध कुल व्यय राशि रूपये 412.87 लाख हुआ।

5.4 पशुपालन

1. विभिन्न व्यक्ति मूलक कार्यक्रम के तहत् 4531 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया।
2. 1770 बकरों के प्रदाय हेतु अनुदान दिया गया।
3. 254 सूकर त्रयीयों के प्रदाय हेतु अनुदान दिया गया।
4. विशेष पशु. प्रजनन कार्यक्रम के तहत 571 संकर जर्सी देशी उन्नत मादा वत्सों के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न एवं औषधियों के लिये हितग्राहियों को अनुदान दिया गया।

के्द्राश

देश में लगभग 3.44 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र सिंचाई एवं ग्रामीण तालाबों के रूप में

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तालाबों की उत्पादकता में वृद्धि कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है। वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत प्रावधानित राशि रूपये 16.94 लाख के विरूद्ध रूपये 10.23 लाख व्यय कर 625 हेक्टेयर जलक्षेत्र पट्टे पर अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को उपलब्ध कराय गया।

5.5.7 मत्स्य जीवियों का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य के सक्रिय सदस्यों को निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत

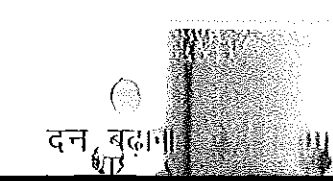

दन बढ़ा[illegible] युक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक

[redacted]

5.7 वन

प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध संकल्प अनुसार वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की वन सुरक्षा एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त वन प्रबन्ध की वन समितियाँ गठित की गई हैं, जिसमें सभी मतदाताओं को सदस्य रखा गया है। विभाग की सभी गतिविधियों के सम्पादन में वन समितियों के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी हैं। वन

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011—12 में 34159 अनुसूचित जनजाति परिवारों/हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुये रूपये 13394.73 लाख की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुये विभिन्न आय मूलक गतिविधियां —जैसे घरों की साज सज्जा की वस्तुएं, मोतियों की माला, गुड़िया निर्माण, ईंट भट्टा, भैंस पालन, मुर्गी पालन आदि से जोड़ा गया है ।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

3. प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2011–12 का कुल प्रारंभिक शेष रू. 190039.00 लाख है । वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 352028.00 लाख का व्यय किया गया है ।

1. योजना में सम्मिलित हितग्राही मूलक योजनायें

1. कपिलधारा – गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्रा इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, बीपीएल हितग्राही, ल कृषक, सीमान्त कृषक की भूमि में कुऐं के निर्माण सुविधा।

2. नन्दन फलोद्यान – गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्रा इंदिरा आवास योजना के हितग्राही की भूमि में उद्यानि सुविधा।

3. भूमि शिल्प – गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जनजाति हितग्रा इंदिरा आवास योजना के हितग्राही की भूमि में मेढ़ बंध सुविधा।

[redacted]

190039.00

[redacted]

— सामाजिक कार्यक्रम का संस्करण।

[redacted]

वर्ष 2011–12 में व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय (बीपीएल) में से अनुसूचित जनजाति के लिये 128758 का निर्माण किया गया। राशि रूपये 2857.57 लाख व्यय की गई।

5.8.8 बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना

भारत शासन से प्राप्त समस्त राशि जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत /नगरीय निकाय/एसआईआरडी जबलपुर को उनके अनुमोदित प्रोजेक्ट के अनुरूप सीधे रेपीड टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई है।

योजना अन्तर्गत शामिल 29 जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक आवासहीन अनुसूचित जाति /जनजाति को "अपना घर" के लिये राशि रूपये 25000/– सीधे ग्रम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की गई। वर्ष 2008–09 में यह राशि रूपयें 35000/– प्रति

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य परिवार वाले ग्रामों में प्रथम स्वसहायता समूह का अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से गठित किया गया है, कुल प्रवेशित 4450 ग्रामों में 1203 ग्रामों में प्रथम स्वसहायता समूह अनुसूचित जनजाति का गठित किया गया है। लगभग 25 प्रतिशत स्व सहायता समुहों में अनुसूचित जनजाति की महिलायें अध्यक्ष बनाई गई है । 60 प्रतिशत से अधिक ग्राम उत्थान समितियों में अनुसूचित जनजाति की महिलायें कार्यकारिणी समिति में नामांकित की गई है पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रही जनजाति की 275 समूहों (27 प्रतिशत) के लिये आजीविका ग्रांट सहित कुल राशि हेतु 1100.00 लाख (28 प्रतिशत) की राशि का निवेश किया गया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों को सहायता राशि, पूर्ण बसाहट, काय किया गया है।

(1) मान परियोजना

परियोजना के पूर्ण जल स्तर (FRL) 297.65 मीटर पर 17 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित होंगे, इन प्रभावित ग्रामों की कुल 1111.30 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होती है, जिसमें 725.50 हेक्टेयर निजी भूमि, 381.407 हेक्टेयर राजस्व भूमि एवं 4.393 हेक्टेयर वन भूमि है संबंधितों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। विस्थापितों हेतु 1200.00 लाख का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया था।

कार्य लागत रू. 17800.00 लाख के टर्न की निविदा के अन्तर्गत प्रगति पर है। फेस–1 का कार्य प्रगति पर होकर जून 2012 तक पूर्ण किये जाना प्रस्तावित हैं। फेज–I के निर्माण पूर्ण होने पर खण्डवा, बड़वाह एवं कसरावद तहसीलों की 24000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी।

रूप से कार्यों में दांयी तट मुख्य नहर आर.डी. 9.775 कि.मी. से 68.92 कि.मी. (कारम नदी तक) डिस्ट्रीब्यूशन नेटवक्र सहित निर्माण कार्य लागत रूपये 19300.00 लाख के टर्न की निविदा के अंतर्गत प्रगति पर है। यह कार्य जून 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा फेज–II के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बड़वाह एवं महेश्वर तहसीलों के 19578 हेक्टेयर क्षेत्र में

प्रदाय किया जाता है । वर्ष 2011–12 में राशि रू. 360.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 1928

वर्ष 2011–12 में संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के 190
हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

8.10. खादी एवं ग्रामोद्योग

190 बोर्ड द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को खादी तथा ग्रामोद्योगों की विभिन्न गतिविधियों में [redacted]

5.17 रेशम विकास

[redacted]

वंटन
न्वित

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

5.19 आदिवासी विकास

आदिम जाति कल्याण विभाग का मुख्य दायित्व संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत [redacted]

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5	150/– (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	150/–
6 से 8	200/–	300/–
9 से 10	600/–	800/–

छात्रगृह योजना

यह योजना मेट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है। योजना में किराये के मकान का किराया, पानी तथा बिजली का शुल्क तथा छात्रावासी दर पर मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2011–12 में राशि रुपये 124.02 लाख का व्यय कर 11010 छात्रों को लाभान्वित किया गया है ।

13. रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना

- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है :—

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय

iii. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र :–

i प्रथम

कम पढ़े लिखे अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए 09 विभागीय प्रशिक्षण सह

20. अनसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रमों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराना यथा– समुचित पेयजल,विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़के नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम तक सड़क पुलिया रपटा निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए) आदि ।

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विकास गंदी बस्तियों में पर्यावरण सुधार स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाना । वर्ष 2011–12 में राशि रूपये 2529.64 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 2509.68 लाख का व्यय कर 480 कार्य किये गये।

21. **छात्रगृह योजना** – यह योजना मैट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। योजना में मकान का

प्रकाशन : —

2011 –12 में निम्नलिखित प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया ।

1. बुलेटिन अंक 50 एवं 51 का प्रकाशन ।
2. आदिवासी पंचायत सदस्यों के लिये अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम संबंधी पुस्तक (पाकेट डायरी) ।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रमाण–पत्र जारी किये जाने संबंधी प्रकिया एवं प्रकाशन पुस्तक का मुद्रण ।
4. प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र का मुद्रण ।
5. गोंड़ी हिन्दी शब्दकोश पुस्तक का मुद्रण ।
6. प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को देने हेतु रफ पेड का मुद्रण ।
7. अत्याचार निवारण नियम संबंधी पुस्तक का मुद्रण ।
8. बैगा जनजाति के क्षेत्रों में किये गये अधोसंरचना के निर्माण कार्यों का मूल्यांकन (डिण्डोरी एवं मंडला) (प्रतिवेदन) ।

8. दिनांक 16 से 25 दिसम्बर 2011 में 10 दिवसीय जनजातीय छात्र–छात्राओं को पारंपरिक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला।

ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु गांव की बेटी योजना को लाभ दिया गया है । विकास के लिये छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न योजनायें जैसे गांव की बेटी योजना अन्तर्गत रुपये 140.00 लाख की राशि आबंटित की गई है। प्रतिभा किरण [redacted]

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को रू. 500/– प्रति 30 कार्य दिवस की दर से छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। प्रदेश के 73 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 3645 प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों में से 1823 अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

6.23.4 रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना –

ऐसे युवा, जो आर्थिक परिस्थितियों या अन्य कारणों से आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं के पश्चात शिक्षा लेने के अवसर प्राप्त नही कर पाते है तथा इस कारण रोजगार के पर्याप्त

समान अवसर, शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार

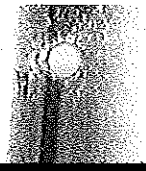

वसर

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता राशि में [redacted]

5.25.3 दीनदयाल चलित अस्पताल योजना

योजना 26 मई 2006 से लागू की गई है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य एवं स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में लागू है। वर्तमान में कुल 123 आदिवासी व पिछड़े विकास खण्डों में योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिदिन लगभग 85 रोगियों का उपचार किया जा रहा है तथा प्रतिमाह 300 गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। माह मार्च 2011 तक 5.95 लाख मरीजों का उपचार किया गया।

5.26 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहनें वाले विभिन्न वर्गो के विभिन्न रोगों से पीडित रोगियों

2011-12 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 8446.59 लाख आवंटन के विरुद्ध रूपये 8275.25 लाख व्यय किया गया।

महिला एवं बाल विकास

विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं संचालित की जाती है, जिससे गरीब तबके की महिलायें एवं बच्चे लाभान्वित हो। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

.1 समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.)

समेकित बाल विकास सेवा योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की

[redacted]

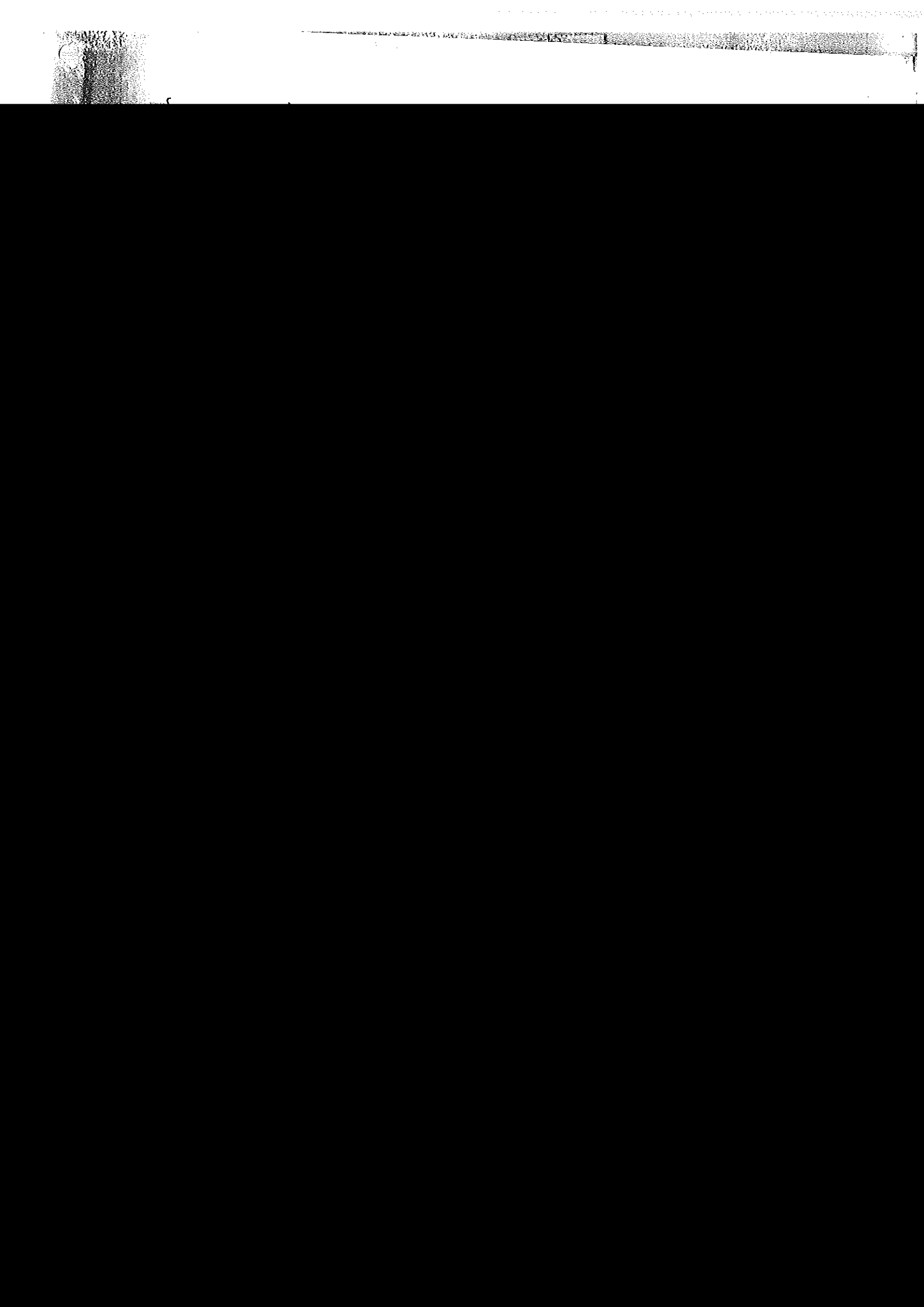

4. प्रौघोगिकी प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान तथा क्षेत्रीय प्रयोगों द्वारा उन्हें मान्य करना, शोध एवं विकास कार्य,प्रदर्शन इकाई स्थापित करना आदि है।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 निम्नलिखित योजनाऐं संचालित की गई हैं

(रुपये लाख में)

[redacted]

शोध सम्पदा समारोह – जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराओं और विविधताओं से जनमानस को परिचित कराने के उद्देश्य से जनजाति नृत्यों पर एकाग्र राष्ट्रीय समारोह सम्पदा का जनजातीय क्षेत्रों में आयोजन किया जा रहा है।

ख ग) **आदिवर्त संग्रहालय के लिये शिल्पों का संकलन/प्रदर्शिनी** – आदिवर्त जनजातीय

[redacted]

[redacted]

अध्याय–6

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का विकास

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का विकास

मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से सहरिया, बैगा तथा भारिया कुल 03 अनुसूचित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल हैं। यह

अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

संविधान की पाँचवी अनुसूची में की गई व्यवस्था अनुसार प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई है। प्रदेश में

शिक्षा के क्षेत्र में शासन का उद्देश्य मात्र शिक्षण संस्थाओं को खोलना नहीं होना चाहिये

वर्ष 2011–12 में अनुसूचित क्षेत्रों/आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है, उसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। परियोजना स्तर पर आयोजना, अनुश्रवण योजना का अनुमोदन/स्वीकृति रूपये 20.00 लाख तक राशि के अधिकार परियोजना सलाहकार मण्डल को प्रदत्त हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि योजनायें आदिवासियों एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अनुरूप हो, जिसका सीधा लाभ अनुसूचित जनजातियों को पहुंचे।

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरणों का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण किया गया है।

2. प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए आधारभूत सुविधायें चिन्हित क्षेत्रों में ही

अध्याय – आठ

परिशिष्ट

[redacted]

	कराहल								
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा जिले की तामिया एवं जमाई	11815	5870.24	1849283	641421	34.68	710525	400514	56.37

परिशिष्ट–दो

प्रशासनिक संरचना
आदिमजाति तथा अनुसचित जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

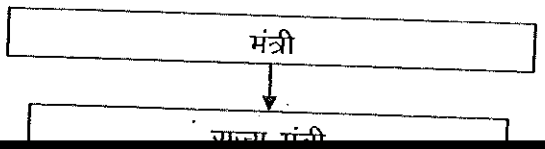

परिशिष्ट – तीन

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत संचालित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा पाकेट एवं लघु अंचल की जानकारी

विशेष भत्ता

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न दरों पर विशेष भत्ता दिया जाएगा–

अ. क्षेत्र वर्ग–1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए मूल वेतन का 15 प्रतिशत

ब. क्षेत्र वर्ग–2 के विकासखण्डों के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत

यदि किसी क्षेत्र विशेष या परियोजना विशेष अथवा विभाग विशेष में किसी अन्य प्रकार का भत्ता

विकासखण्डों का श्रेणीवार वर्गीकरण संशोधित किया जा सकेगा साथ ही विकासखण्डों के पुनः वर्गीकरण के प्रभावशील होने के साथ–साथ CONTINGENCY, WORK CHARGED SERVICE के कर्मचारियों को भी अन्य नियमित वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों की भांति ही विशेष भत्ता तथा आवास गृह भत्ता देय होगा।

[redacted]

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक/एफ.आर.17–01/96/चार–ब–9 भोपाल, दिनांक 11.3.96

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,

परिशिष्ट –पांच

अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति स्थानान्तरण की नीति

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक–एफ–सी–3–41–83–3–1 भोपाल दिनांक 11 जनवरी 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :– अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण की नयी नीति।

संलग्नक–'ग' में उल्लेखित विभागों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानान्तर के संबंध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :–

(1) अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां–जिन पदों में नियुक्तिया जिला स्तर अथवा संभाग स्तर पर की जाती है उन पदों में नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों से संबंधित जिले या संभाग के सामान्य क्षेत्र में तभी पदस्थ किया जाय जबकि, जिले/संभाग के अनुसूचित (अर्थात उपयोजना) क्षेत्र में कोई भी पद रिक्त न

(2) अनुसूचित क्षेत्र में संबंधित पद कही भी रिक्त नही होने की स्थिति में या [redacted]

(4) नियुक्तियां ऐसे पदों पर की जा रही हों जिनके संबंध में इन निर्देशों का पालन नहीं हो सकता,

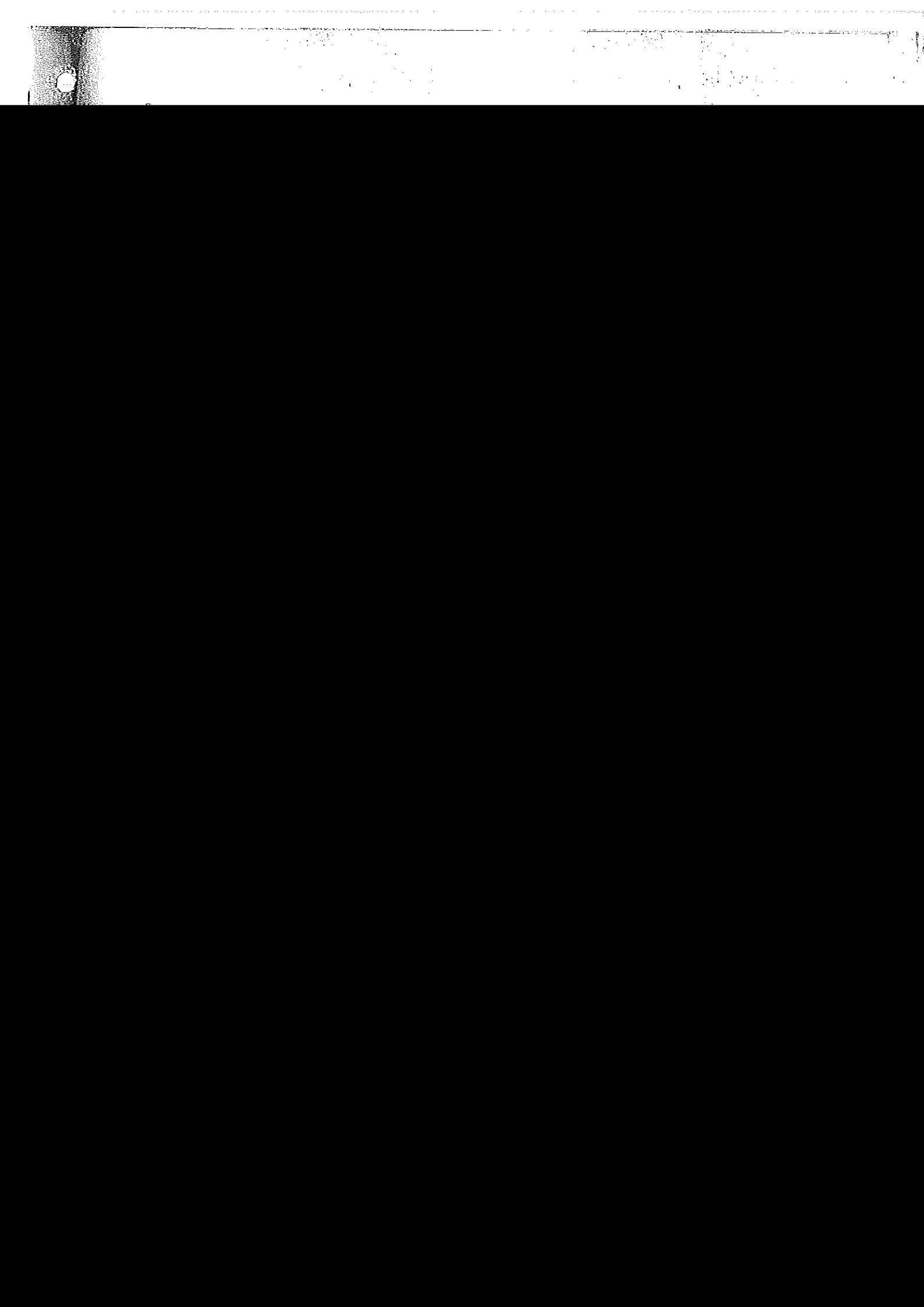

क्षेत्र वर्ग 3

क्रमांक जिला विकासखंड

प्रमुख आदिवासी जिले

क्रमांक	जिले का नाम	कुल जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का

[redacted]

मध्यप्रदेश शासन

[redacted]

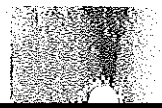

संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान सदस्य संयोजक होंगे। आवश्यक होने पर समिति किसी विषय विशेषज्ञ को भी बैठक में आमन्त्रित कर सकेगी। यह समिति 6 माह में रिपोर्ट देगी जिस पर आगामी बैठक में चर्चा होगी ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग)

मंत्रणा परिषद् की गत बैठक दिनांक 29 जुलाई 2010 में माननीय सदस्य श्री भगत सिंह नेताम द्वारा दिये गये सुझावों पर चर्चा ।

(1) विशेष आमंत्रित माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास ने चर्चा में बताया कि लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति प्रकिया में आरक्षण नियमों का उल्लधंन किया गया। मुख्य अभियंता पद पर 6 रिक्तयों के विरूद्व 7 आनारक्षित लोगों को पदोन्नत किया गया जब कि इनमें एक अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति एवं 4 अनारक्षित होना चाहिये। यदि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे तो पद रिक्त रखे जाने थे। पुनः दिनांक 4.12.2010 को इन्हीं रिक्त 6 पदों को लोक निर्माण विभाग ने 8 रिक्तियों बताकर 5 अनारक्षित वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नत किया।

उक्त प्रकरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया :–

(क) किसी भी परिस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों पर अन्य वर्गो के अधिकारियों की पदोन्नति नही की जा सकती इस संबंध में पूर्व से ही स्पष्ट नियम / निर्देश हैं । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के [redacted]

[redacted]

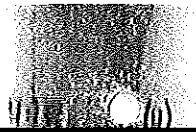

प्रमुख सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जाति प्रमाण पत्रों के निराकरण हेतु छानबीन समिति कि बैठक निरंतर आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। समिति के द्वारा 297 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर संबंधित विभागों की ओर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि

2012

बिन्दु कमांक– 3(ब) के कमांक– 1 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के संबंध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग

माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार के बजट अभिभाषण से सुसंगत अंश इण्टरनेट से डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि बी.आर.ए. एफ. की स्थापना प्रस्तावित है जो कि सिविल सोसायटी के अच्छे कार्यों के विस्तारण का कार्य करेगी [redacted]

परिशिष्ट–आठ

आदिवासी उपयोजना–परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2010–11

क्र	आई.टी.डी.पी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
1	झाबुआ	527.61	527.61	2638	2638	226.12	226.12	32	3
2	आलीराजपुर	449.81	449.81	2249	2249	179.95	179.95	37	3
3	धार	227.78	227.78	1139	1139	122.94	122.94	14	1
4	कुक्षी	505.88	505.80	2529	2529	185.34	185.34	39	3
5	खरगोन	415.09	360.07	2075	1820	137.29	137.29	35	3
6	महेश्वर	108.92	44.24	544	221	28.00	28.00	8	
7	बड़वानी	284.26	284.26	1514	1514	141.27	139.78	19	1
8	सेंधवा	308.58	292.98	2060	2271	120.00	120.00	9	
9	खन्डवा	247.77	240.50	1360	1360	89.45	24.56	23	2
10	बागली	98.51	98.51	517	517	68.35	65.95	14	12
11	सैलाना	207.63	208.03	1038	1038				

आई.टी.डी.पी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
केसला	74.40	51.40	372	372	30.00	29.13	3	3
हरदा	72.52	72.52	362	362	36.10	35.27	14	14
कराहल	133.12	133.12	706	706	89.33	89.33	12	12

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2011–12

क्र	आईटीडीपी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	
	आई.टी.डी.पी.								
1	झाबुआ	720.37	503.20	3602	2518	226.42	65.87	27	2
2	आलीराजपुर	628.00	628.00	3358	3358	171.84	73.05	45	16
3	धार	349.71	205.80	1749	1029	70.00	33.50	10	6
4	कुक्षी	640.35	310.60	3202	1603	153.55	78.90	27	7
5	खरगोन	495.96	258.77	2480	1294	156.95	156.95	33	33
6	महेश्वर	66.92	37.00	335	185	19.66	19.66	4	4
7	बड़वानी	394.43	254.98	1696	1224	127.95	63.68	12	6
8	सेंधवा	387.58	183.27	1987	927	125.17	73.52	9	3
9	खन्डवा	291.82	232.00	1461	1603	105.00	102.20	16	16
10	बागली	166.37	124.60	832	622	45.31	25.71	10	8
11	सैलाना	287.33	104.40	1434	522	28.83	28.83	0	0
12	मंडला	519.32	179.48	2596	1167	169.88	24.33	26	0
13	निवास	381.13	187.20	1906	1238	119.50	101.51	25	21
14	बैहर	238.18	117.17	1161	679	76.00	33.32	28	9
15	लखनादौन	334.48	289.60	1672	1450	76.52	65.87	4	0
16	कुरई	89.80	54.83	449	271	20.57	10.28	13	7
17	तामिया	477.50	149.20	2387	503	163.92	39.10	33	3
18	सौंसर	139.80	48.88	720	228	43.50	34.50	8	8
19	कुंडम	183.73	99.08	1681	1237	45.66	30.00	7	4
20	शहडोल	567.20	502.20	2890	2715	175.83	175.83	34	34
21	जयसिंहनगर	129.25	129.25	671	671	34.90	34.90	7	5
22	पुष्पराजगढ़	202.24	202.24	1010	1091	50.00	50.00	10	10

क्र	आईटीडीपी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	
23	बांधवगढ	213.07	167.40	1066	917	58.04	58.04	6	
24	डिन्डोरी	374.84	162.62	1874	979	124.84	124.84	3	
25	देवसर	300.87	161.94	1740	895	90.75	43.75	14	
26	कुसमी	250.68	184.80	1253	1049	70.29	29.20	9	
27	बैतूल	352.59	135.60	1763	678	100.46	40.81	35	
28	भैंसदेही	259.63	117.40	1298	587	87.00	17.40	18	
29	केसला	90.83	0.00	454	125	27.30	19.00	8	
30	हरदा	108.32	84.21	542	462	31.03	13.87	14	
31	कराहल	214.25	214.25	1069	1069	53.94	53.94	9	

परियोजनावार आर्टिकल 275(1) के तहत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की जानकारी

क	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्यां
1	झाबुआ				
		2010–11	582.11	582.11	37
		2011–12	668.48	524.50	39
2	अलीराजपुर				
		2010–11	469.91	217.95	6
		2011–12	555.68	377.80	6
3	धार				
		2010–11	241.25	241.25	4
		2011–12	279.40	157.50	13
4	कुक्षी				
		2010–11	525.83	497.01	27
		2011–12	590.68	460.35	28
5	खरगौन				
		2010–11	356.15	356.15	16
		2011–12	414.00	336.50	12
6	महेश्वर				
		2010–11	44.46	44.46	4
		2011–12	53.94	47.38	4
7	बड़वानी				
		2010–11	311.38	307.44	23
		2011–12	347.15	300.66	26
8	सेंधवा				
		2010–11	324.31	308.72	11
		2011–12	373.99	278.84	25
9	खण्डवा				
		2010–11	258.82	209.33	9
		2011–12	326.75	203.30	11
10	बागली				

क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्या
		2010–11	102.12	102.12	09
		2011–12	117.60	85.25	07
11	सैलाना				
		2010–11	182.58	182.58	14
		2011–12	247.98	40.50	07
12	मंडला				
		2010–11	353.13	351.56	08
		2011–12	437.01	320.04	07
13	निवास				
		2010–11	240.85	240.85	07
		2011–12	1245.47	1087.22	16
14	बैहर				
		2010–11	157.12	157.12	18
		2011–12	530.07	255.11	05
15	लखनादौन				
		2010–11	227.65	227.65	05
		2011–12	796.75	522.94	03
16	कुरई				
		2010–11	48.69	32.46	01
		2011–12	55.38	47.61	03
17	तामिया				
		2010–11	331.37	15.39	–
		2011–12	348.45	73.84	07
18	सौंसर				
		2010–11	64.50	58.78	10
		2011–12	108.46	86.07	08
19	कुण्डम				
		2010–11	108.67	108.67	03
		2011–12	462.26	122.82	03
20	शहडोल				
		2010–11	392.83	350.78	10
		[illegible]	437.30	367.43	49
21	जयसिंहनगर				
		2010–11	71.14	71.14	08
		2011–12	79.78	68.31	16
22	पुष्पराजगढ				
		2010–11	47.98	47.98	34
		2011–12	147.69	147.69	32
23	बांधवगढ				
		2010–11	114.39	114.39	04
		2011–12	264.37	166.60	08
24	डिंडोरी				
		2010–11	225.00	79.82	06
		2011–12	288.06	434.89	19
25	देवसर				
		2010–11	6.41	6.41	02
		2011–12	169.97	–	0
26	कुसमी				
		2010–11	156.45	100.98	08
		2011–12	162.33	142.94	18

क	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्या
27	बैतुल				
		2010–11	224.55	171.69	34
		2011–12	276.14	269.55	55
28	भैंसदेही				
		2010–11	183.75	130.85	39
		2011–12	212.17	277.74	80
29	केसला				
		2010–11	65.68	65.00	11
		2011–12	87.45	70.00	06
30	हरदा				
		2010–11	72.12	72.08	11
		2011–12	81.33	41.29	08
31	करहल				
		2010–11	117.61	117.61	01
		2011–12	74.24	74.24	07

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंग अनुपात एवं साक्षरता दर जनगणना 2001 के अनुसार

जिला	लिंग अनुपात			साक्षरता				
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	पुरूष	महिला	ग्रामीण	शहरी
2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनूपपुर				शहडोल शामिल				
अशोकनगर				गुना शामिल				
बालाघाट	1050	1053	1019	53.6	66.9	41.1	52.2	67.4
बड़वानी	982	986	885	28.4	37	19.7	27.5	54.1
बैतूल	994	997	903	46	58.1	34	45.4	64.2
भिण्ड	877	893	870	53.5	67.6	37.2	43.9	57.7
भोपाल	901	925	892	59	66.7	50.3	29.6	69
बुरहानपुर								
छतरपुर	919	922	873	29.1	39	18.1	27.9	47.6
छिन्दवाड़ा	989	992	952	48	61.2	36.1	47.3	65.8
दमोह	950	950	943	41.4	54.4	27.6	40.7	60.1
दतिया	910	928	824	40.4	50.3	29.6	37.3	55.4
देवास	955	958	923	32.8	45.5	19.5	31.2	47.4
धार	981	984	925	36.7	49	24.2	36	48.5
डिण्डौरी	1011	1010	1055	49.3	64.8	34	49	70
पूर्व निमाड़	959	961	901	36.2	49.5	22.2	35.4	54.9
गुना	925	925	916	31.6	44.2	17.7	30.7	48.6
ग्वालियर	912	920	889	36.1	46.3	24.8	24.8	64.8
हरदा	943	945	886	38.4	51.3	24.7	37.5	60.7
होशंगाबाद	932	938	881	47.4	59.5	34.2	44.5	71.3
इंदौर	918	945	863	38.4	48.9	26.9	31.4	52.5
जबलपुर	958	976	892	51.8	65.1	37.9	47.7	66.9
झाबुआ	993	996	906	30.6	41.7	19.4	29.4	65.9
अलीराजपुर				झाबुआ में शामिल				

क्र.	जिला	लिंग अनुपात			साक्षरता				
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	पुरूष	महिला	ग्रामीण	शह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	पन्ना	943	945	892	43.2	54.9	30.7	43.4	30.1
32	रायसेन	932	937	864	54.7	65.1	43.4	54.6	66
33	राजगढ़	928	933	904	46.7	61.2	30.9	43.6	62.1
34	रतलाम	975	980	855	41.9	55.7	27.7	41.3	66.6
35	रीवा	924	927	891	35.5	47.6	22.3	35.1	40.0
36	सागर	942	945	895	38.7	50.9	25.7	37.5	60.4
37	सतना	949	950	932	37.1	48.9	24.6	36.6	42.0
38	सीहोर	943	949	870	43.1	55.2	30.2	41.7	63
39	सिवनी	1016	1018	959	53.4	67	40.1	52.9	76.3
40	शहडोल	993	997	952	44.6	58.1	31	44	50.4